अर्द्धशासकीय पत्रांक: 1287(19)/65-2-2017

महेश कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
301, बापू भवन
उ0प्र0 शासन
0522–2238063, 2214526 (का.)
Email Id-psred2016@gmail.com

लखनऊ : दिनांक : 27 जून, 2017

आप अवगत हैं कि शासकीय लाभ/अनुदान प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार संख्या से जोड़ा जाना है। तत्क्रम में दिव्यांग जन भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों को भी आधार संख्या से जोड़ा जाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या– 564/26–2–2017–1 (पें0लक्ष्य)/2013 दिनांक 05 मई, 2017 के माध्यम से निश्चित समयावधि में आधार सीडिंग के कार्य को पूर्ण किये जाने की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि लाभार्थियों के आधार संख्या संकलन के दौरान यदि किसी लाभार्थी के अभी तक आधार कार्ड न बने हों या जिन्होंने आधार कार्ड हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हों किन्तु उनको आधार कार्ड प्राप्त न हुये हो, केवल प्राप्ति रसीद उपलब्ध हो, या खो गयी हो, ऐसे मामलों में खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी के माध्यम से आधार कार्ड तैयार करने हेतु संबंधित जनपद के लिये नामित एजेन्सी से सम्पर्क कर ऐसे लाभार्थियों के आधार कार्ड बनवाये जाए।

इस संबंध में अवगत कराना है कि नीति आयोग एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये तैयार किये गये एक्शन प्लान एवं टाइम लाइन के अनुसार आधार सीडिंग एवं आधार सत्यापन के कार्य को सितम्बर, 2017 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिस क्रम में उच्च स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है किन्तु प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से भरण पोषण अनुदान प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार सीडिंग की प्रगति मात्र 49 प्रतिशत है, जो संतोषजनक नहीं है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद में दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग से सम्बन्धित कार्य में विशेष रूचि लेते हुए नीति आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा सितम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (नाम से), उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

23.06.2017